अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

निग / सारा–(पथ)नि0वि0–3 / 12 पटना, दिनांक :– 5/3/19

कार्यालय आदेश 66

पथ प्रमंडल भागलपुर अंतर्गत विभिन्न तीन पथों–यथा–भागलपुर–अगरपुर कोतवाली पथ, त्रिमुहान–एकचारी–धनौरा–महगाँवा पथ एवं नवगछिया–तीनटंगा पथ में कराये जा रहे कार्यो की तकनीकी परीक्षण कोषांग, निगरानी विभाग के द्वारा जाँचोपरांत पत्रांक–1248 दिनांक–21.02.2012 द्वारा समर्पित तत्संबंधी जाँच प्रतिवेदन एवं निगरानी विभाग के ही पत्रांक–1392 दिनांक–29.02.2012 के आलोक में श्री सुनील कुमार सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल भागलपुर सम्प्रति कनीय अभयंता, पथ प्रमंडल किशनगंज से उनके दायित्वों के अनुरूप विभागीय पत्रांक– 5847(एस), दिनांक– 28.05.2012 से भागलपुर–अगरपुर कोतवाली पथ के कि०मी० 3.50 से 20.50 तक चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण कार्य वर्ष–2008–09 के फ्लैंक में कराये गये मिट्टी कार्यों का Proper Sloping एवं Compaction नही पाये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गई।

2. श्री सिंह ने पत्रांक– शून्य, दिनांक– 10.07.2012 द्वारा अपना स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया। प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा विभागीय तकनीकी समिति से कराई गई, उक्त विभागीय तकनीकी समिति के स्तर पर की गई समीक्षा के पश्चात् विभाग के स्तर पर भी मामले का विश्लेषण किया गया।

3. विषयांकित जाँच प्रतिवेदन के विश्लेषणोपरांत श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं विभागीय तकनीकी समिति के मंतव्य पर की गई समेकित विभागीय समीक्षा के उपरांत गठित आरोप को इस हद तक प्रमाणित पाया गया कि निगरानी विभाग के संयुक्त जाँच दल के द्वारा जब तथ्य को संज्ञान में लाया गया तब श्री सिंह के द्वारा मिट्टी कार्य का Proper Slope एवं Compaction नहीं होने संबंधित त्रुटि में अपेक्षित सुधार किया गया। इस प्रकार, प्रश्नगत सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य में कनीय अभियंता के विहित कार्य–दायित्वों के अनुरूप कार्य न कर निर्माण एवं पर्यवेक्षण में शिथिलता एवं लापरवाही बरतने के हद तक श्री सिंह का दायित्व प्ररिलक्षित होता है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विभागीय समीक्षोपरांत श्री सुनील कुमार सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल भागलपुर सम्प्रति कनीय अभयंता, पथ प्रमंडल किशनगंज को प्रमाणित पाये गये आरोप का दोषी पाते हुए उनके स्पष्टीकरण पत्रांक– शून्य, दिनांक– 10.07.2012 को अस्वीकृत कर उनके विरूद्ध निम्न दंड संसूचित किया जाता है :–

(i) एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

5/3/19

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

P.T.O

P.T.O

E/Nigrani Section/2011-12/Deepak Kumar/Adhisuchna/k.Adesh

ज्ञापांक :– 1838(8) पटना, दिनांक :– 5/3/19

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (यातायात) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, भागलपुर पथ अंचल, गया/ उप सचिव, निगरानी, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी (प्रभारी प्रशाखा–3), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (मुख्यालय/लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1/2/3/6/13/14/रोकड़ शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री सुनील कुमार सिंह, कनीय अभयंता, पथ प्रमंडल किशनगंज को

निबंधित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/3/19

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 1838(8) पटना, दिनांक :– 5/3/19

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

1/3/19

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 1838(8) पटना, दिनांक :– 5/3/19

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव निगरानी विभाग के पत्रांक– परि0 / पथ– 012/2010–1248(अनु0), दिनांक –21.02.2012 के संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/3/19

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

1/3